



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

“ऑपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में लूट की घटना कारित करने के आरोपी कुंवरपाल को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 01 माह का कारावास व 1,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 1991 में कुंवरपाल पुत्र जय भगवान निवासी ग्राम बुढ़सैनी थाना बालैनी जनपद बागपत द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 246/91 धारा 392 भादवि पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 21.06.2024 को मा0 न्यायालय जिला जज एफटीसी जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त कुंवरपाल को दोषी पाते हुए 01 माह के कारावास व 1,000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

 @baghpatpolice

 baghpatpolice

 Baghpat Police





प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना बड़ौत

दिनांक 21.06.2024

थाना बड़ौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 437/24 धारा 379/304/411 भादवि का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से चोरी की हुई 09 क्विन्टल सरिया तथा घटना में प्रयुक्त 01 गाड़ी आयशर कैन्टर नं0 UP-15 GT-0643 बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 20.06.2024 को थाना बड़ौत पर वादी बीजू उर्फ टिंगल पुत्र जॉन निवासी करबा बड़ौत व थाना बड़ौत जनपद बागपत ने सूचना दी कि अज्ञात चोरों द्वारा उसकी खाली जमीन में रखा सरिया चोरी कर लिया गया है तथा उन्हीं चोरों द्वारा आयशर कैन्टर को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए भागते समय उन्हीं व्यक्तियों में से 01 व्यक्ति की आयशर कैन्टर की चपेट में आने से मौके पर ही मृत्यु हो गयी। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 437/24 धारा 379/304/411 भादवि पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बड़ौत पुलिस द्वारा थाने के

मु0अ0सं0 437/24 धारा 379/304/411 भादवि का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से चोरी की हुई 09 क्विन्टल सरिया तथा घटना में प्रयुक्त 01 गाड़ी आयशर कैन्टर नं0 UP-15 GT-0643 बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बड़ौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-अमित पुत्र वीर सिंह निवासी ग्राम वहलना थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर।
- 2-साहिल पुत्र सलीम निवासी ग्राम सुजडू थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी की हुई 09 क्विन्टल सरिया।
- घटना में प्रयुक्त 01 गाड़ी आयशर कैन्टर नं0 UP-15 GT-0643

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 विनोद कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत।
- 2-उ0नि0 श्री रामकुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत।
- 3-उ0नि0 श्री दीपक कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत।
- 4-है0का0 216 नगेन्द्र सिंह थाना बड़ौत जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना चांदीनगर

दिनांक 21.06.2024

थाना चांदीनगर पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम व पता-

लोकेश पुत्र पीतम सिंह निवासी ग्राम लहचौडा थाना चांदीनगर जनपद बागपत

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 श्री अमर सिंह थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 2.का0 883 उमाशंकर थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 3.का0 957 पवन कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनाँक 21.06.2024

थाना बडौत पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम व पता-

प्रेम पुत्र श्यामा निवासी सुल्तानपुर हटाना थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री प्रान्शु राजपुत बडौत जनपद बागपत।
- 2-है0का0 438 कवित कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3-है0का0 414 मानसिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 4-है0का0 306 राजीव कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना चांदीनगर

दिनांक 21.06.2024

थाना चांदीनगर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 122/24 धारा 379 भादवि से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी की हुई टैक्टर की हिच बरामद

|

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 20.06.2024 को थाना चांदीनगर पर वादी सुभाष पुत्र सुरजा निवासी ग्राम गढ़ी कलंजरी थाना चांदीनगर जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्त शहजाद गूंगा पुत्र रहीसुदीन निवासी मोहल्ला शेखपुरा करबा रतौल थाना खेकडा जनपद बागपत ने टैक्टर की हिच चोरी कर ली है। इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना चांदीनगर पर मु0अ0सं0 122/24 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 122/24 धारा 379 भादवि से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से चोरी की हुई टैक्टर की हिच बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चांदीनगर पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट – उपरोक्त अभियोग में बरामदगी के आधार पर धारा 411 भादवि की वृद्धि की गई है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

शहजाद गूंगा पुत्र रहीसुदीन निवासी मौहल्ला शेखपुरा कस्बा रतौल थाना खेकडा जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी की हुई टैक्टर की हिच ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री विकुल कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 2-है०का० 618 भरत सिंह थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 3-है०का० 186 इमरान खान थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

